प्रेस नोट

दिनांक- 31.03.2021

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाई गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 310/98 धारा 302,504,506 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के अभियुक्त राधेश्याम त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण त्रिवेदी नि0 बनभरिया थाना कमरौली जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे द्वितीय रायबरेली द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री पुत्तन लाल पुत्र सद्धू पासी नि0 बनभरिया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 14.11.1998 को समय 14:00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के 65 वर्षीय पिता को अभियुक्त राधेश्याम त्रिवेदी पुत्र चन्द्रभूषण त्रिवेदी नि0 बनभरिया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर अपनी लाइसेन्सी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर देने की इस सूचना पर थाना शिवरतनगंज पर मु0अ0सं0 310/98 धारा 302,504,506 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत होकर क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अमृतलाल कालिया जनपद अमेठी द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-92 दिनांक 30.11.1998 को मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी।